दिनांक 26/4/2020 को पेश हो।

~~26/4/2020 पत्रावली पेश। उभय पक्ष उपस्थित। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा बहस हेतु समय चाहा गया। ... अपीलांट के अभिभाषक के निवेदन पर ... बहस हेतु समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 10/3/2020 को पेश हो।~~ ~~प्रत्यर्थी पर ... अवसर ... बहस सुनने हेतु उभय पक्ष के अभिभाषकों को सूचित किया गया।~~

13/3/2020 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अभिभाषक उपस्थित। मामले में उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रत्यर्थी नं. 1 द्वारा एक प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 251क RT Act पेश कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी नं. 1 की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम नांदिया जाजड़ा तह० ... के ख.नं. 43/2 सरहद्द शामिल आई हुई है, ख.नं. 43/9 व 43/10 में सार्वजनिक रास्ता चल रहा है जिस तक रास्ते की भूमि नियत है। मौके पर रास्ता चल रहा है। ख.नं. 43/3 अपीलार्थी पहुंचना ख.नं. 43/3 में से होकर होता है। ख.नं. 43/3 अपीलार्थीगण के पिता की है। इसकी भूमि नं. 2 के पति व केवल अपीलार्थीगण के पिता की है। इसकी भूमि में से ही रास्ता चलता है, इसके अलावा प्रत्यर्थी नं. 2 के खाते में से ही रास्ता चलता है, इसके अलावा रास्ते को अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है। उन्हें रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है।

P.T.O

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

(2)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.3.2020	उक्त प्रार्थना-पत्र दर्ज का अपीलार्थीगण के पति व पिता जुगलकिशोर को सम्मन जारी किये गए। इस सम्मन पर रिपोर्ट प्राप्त हुई कि आसामी 6 वर्ष से गुमशुदा है इसलिए नोटिस अदम तामील होकर वापस पत्रावली में लौट आया। तामील पूर्ण हुए बगैर ही इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर एकतरफा आदेश पारित किया जिसके द्वारा नजरी नक्शे में दर्शाए अनुसार 'A' से 'B" स्थान 30 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने का आलोच्य आदेश दि. 12.4.2019 को पारित किया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।	
	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में भारी विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि की गई है। मूल प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी पक्षकार जुगलकिशोर पुत्र रामरतन जो लगभग 6 वर्ष पूर्व घर से लापता हो गए थे, को पक्षकार बनाते प्रा. पत्र प्रस्तुत किया। उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट प्राप्त होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे बिना सुने आलोच्य आदेश पारित किया है जो अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जुगल किशोर पर सम्मन तामील मानने में भूल की गई है। इससे उनके विरुद्ध पारित एकपक्षीय आदेश अपास्त योग्य है। जुगलकिशोर के लापता होने से उनकी तरफ से पैरवी नहीं की जा सकी तथा न ही सुनवाई का अवसर ही उसे प्राप्त हो पाया है। अपीलार्थीगण, जो कि जुगलकिशोर के वारिसान हैं जो विधिकी बाध्यता के अनुसार 7 वर्ष से पूर्व अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनके विरुद्ध इस आदेश के संबंध में कार्यवाही करने हेतु हितबद्ध पक्षकार हैं इसलिए अपीलार्थीगण की तरफ से अपील प्रस्तुत की जा रही है। हितबद्ध पक्षकारों को नहीं सुने जाने के कारण भी आलोच्य आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।	
	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा मौका रिपोर्ट मंगाते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है जबकि मौका रिपोर्ट अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में तैयार की गई है, मौका रिपोर्ट तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार नहीं की जाने के कारण भी वह पढ़े जाने योग्य नहीं है इस कारण भी आलोच्य आदेश अपास्त/निरस्त किये जाने योग्य है।	

P.T.O.

[signature] सहायक अपील प्राधिकारी जोधपुर

9

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पक्षकार होने का दावा कर रहे हैं। अपील मीमो में इनके द्वारा उठाये गए एतराजों के मद्देनजर मामले में इन्हें सुना जाना आवश्यक है जिसका अभाव पाया गया है। मौका रिपोर्ट दि 01/03/2019 का अवलोकन करने पर उसमें पाया कि वह ILR कानिगो खुर्द द्वारा तैयार की गई है जो विधि की मंशा को पूर्ण करती है। इसमें प्रदत्त रास्ते की दूरी न्यूनतम है और अन्य कोई विकल्प भी नहीं दर्शाया गया है। इस दृष्टि से इसमें कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती।

मामले पर समग्र रूप में विचार कर बाद विश्लेषण अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दि० 12-4-2019 अपास्त किया जाकर मामले को इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि वह अपीलार्थीगण को मामले और मौका रिपोर्ट पर सुनवाई का अवसर प्रदान कर उसके फिर से समुचित आदेश पारित करे। अपीलार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब/पक्ष प्रस्तुत करने हेतु मुकर्रर दिनांक 20/3/2020 को ही कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा उन्हें कोई अवसर प्रदत्त नहीं किया जा सकेगा। प्रत्यर्थी सं० 1 भी इसी रोज अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं/वकील के मार्फत हाजिर रहे। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आज ही लौटावें।

[signature]
राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	लिहाजा अपील को अंदर मियाद शुमार करने और अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु पृथक से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिन्हें स्वीकार कर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। बहस करते हुए वकील रेस्पो० ने बताया कि अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत एवं सही है। रेस्पो० सं० 1 को अपने खातेदारी खेत ख० नं० 43/2 रकबा अधिया में आवागमन हेतु सार्वजनिक रास्ते तक पहुंच बनाने के लिए अपीलार्थीगण के पति। पिता की खातेदारी भूमि में से विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए एक प्रा-पत्र अंतर्गत धारा 251क पेश कर रास्ता मांगा गया। अप्रार्थी सं० 1 जुगल किशोर पर सम्मन हेतु ~~xxxx~~ कार्यवाही की गई जिस पर रिपोर्ट तामील कुनिंदा प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुमशुदगी के बावजूद पत्नी ने इन सम्मन को लेने से इंकार करने के कारण इसे तामील मानी जाकर बाद मौका रिपोर्ट प्राप्त कर जो आलोच्य आदेश से रास्ता दिया गया है वह न्यूनतम दूरी वाला है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने के कारण अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ता सही होने से अपील खारिज योग्य है, लिहाजा खारिज फरमाई जावे। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। गुमशुदा अप्रार्थी जुगलकिशोर के नाम जारी सम्मन पर तामीली रिपोर्ट देखी। इस पर तामील कुनिंदा की रिपोर्ट है कि "आसामी का म० नं० 21/756 बताया - बाद में सवर वहां गया। आसामी की पत्नी ने बताया कि आसामी 6-वर्ष से गुमशुदा है व आसामी की पत्नी ने तामील करने से मना किया बाद रिपोर्ट तामील पेश है।" यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस पर तहसीलदार जोधपुर ने अपने पृष्ठांकन क्रमांक 235 दि० 31/01/2019 से सम्मन वापस भिजवाया। इस दिनांक के पश्चात् से आज दिन गुमशुदा जुगलकिशोर को 7 वर्ष पूर्ण हो गए गुमशुदा हुए। अपीलार्थीगण के अधीन सीमों में अंकित मंशानुरूप अवधि पूर्ण हो चुकी है लिहाजा वे 7 वर्ष पूर्ण होने के कारण सिविल अधिकार प्राप्त करने को स्वतंत्र है। अपीलार्थीगण स्वयं भी अपील मीमो में अंकित तथ्यों अनुसार गुमशुदा के वारिसान होकर हितबद्ध [signature] P.J.O. राजस्व अपील प्राधिकारी	